अध्याय-प्रश्न
शोध परिचय

अध्याय :- प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

"भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी हैं।" जिस साधन सें हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुँचा सकते वह भाषा हैं। भाषा की यह परिभाषा बहुत व्यापक हैं। भाषा हमारे सम्पेषण का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। 'सम्पेषण व्यापार के संदर्भ में यह देखा जा सकता हैं कि, इसके एक छोर पर सम्बोधक होता हैं। जो किसी संदेश को भेजता हैं, और दुसरे छोर पर सम्बोधित होता हैं। जो इस संदेश को ग्रहण करता हैं। सम्बोधक और सम्बोधित के व्यापार के माध्यम के रूप में भाषा रहती हैं।' इस भाषा के सहारे सम्बोधक अपने अव्यक्त संदेश को व्यक्त करता हैं। और इसी भाषा में अभिव्यक्त संदेश को अर्थ के रूप में सम्बोधित ग्रहण करता हैं। अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा के मौखिक एवं लिखित दो रूप हाते है। मौखिक रूप में अभिव्यक्ति का साधन ध्वनि हैं। सम्बोधक के रूप में वक्ता संदेश को भाषा में बांधकर मुँह सें उच्चारित करता हैं, और सम्बोधित के रूप में श्रोता उसे सुनकर अर्थग्रहण करता हैं। इसके विपरीत लिखित रूप में भाषिक अभिव्यक्ति का साधन लेखन होता हैं। 'इस संदर्भ में सम्बोधक के रूप में लेखक संदेश को लिखकर व्यक्त करता हैं। और सम्बोधित के रूप में पाठक पढकर उसका अर्थ समझता हैं।'

भाषा न केवल मानव के साथ सम्पर्क सुत्र हैं वरन यह मानव और पशु के मध्य विवाद रहित सींमाकन भी है। 'भाषा ही मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक क्षेत्र में उसके

सर्वोत्तम का विकास कर उसकी आत्मानुभूति उसके अपने सृजक के साथ एकरस, एकलीन होने का माध्यम भी हैं।'

अनेकता में एकता वाले हमारे देश में अनेक भाषाएँ, बोली जाती हैं सरकारी ऑकडो के सन्दर्भ में अठरह भाषाएँ बतायी हैं, लेकिन जब हम वास्तविकता में देखे तो हर बारह किं.मी. के बाद भाषा बदलती हैं। भाषा के कारण हमारे भारत देश में अलग अलग सें राज्य बने है। इन सब राज्यो में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं वह उसकी मातृभाषा कहलाते हैं। 'मुदलिया आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग आदि शिक्षा आयोग ने हर राज्यों की मातृभाषा को शिक्षा में प्रथम भाषा का दर्जा दिया हैं।'

भाषा के बिना विचार-विनिमय सम्भव नही है। यदि हम कुछ सीखना चाहते हो तो उसके लिये भाषा का अपना महत्वपुर्ण स्थान हैं। 'किसी भी भाषा को सीखने के चार चरण हाते है।' 'सुनना, बोलना, पढना, व लिखना।' इनका एक दुसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

आमतौर पर समाज के हर वर्ग की यह शिकायत है, कि 'माध्यमिक शिक्षा पुरी हो जाने के बाद भी छात्र अथवा छात्राओं ज्ञान समझ कौशल और व्यक्तित्व विकास के अन्य गुणो को नही सीख पाते और वे अपेक्षित स्तर से काफी पीछे रह जाते।' वर्तमान लक्ष्यों में बहुत कम बच्चे पूर्ण दक्षता प्राप्त करते हैं। अधिकांश बच्चे उनको अपर्याप्त या अपूर्ण रूप सें सीखते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा में कुछ इस तरह विद्यार्थी होते है, जिन को भाषा अधिगम में कठिनाई होती हें किसी भी विषय को समजने के लिये भाषा का शुध्द ज्ञान आवश्यक है। आजकल के विद्यार्थियों कों शुध्द भाषा ज्ञान की कमी देखी जा रही है।

1.2 अधिगम की भूमिका

"अधिगम को ही सीखना कहते हैं।" शिशु जन्म के समय पूर्णतः असहाय होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह माता-पिता पर निर्भर रहता है। किन्तु आयु में वृध्दि के साथ उसकी ज्ञानेन्द्रियों में चेतना शक्ति अधिक प्रबल होती जाती है, और धीरे धीरे वह अपने वातावरण व ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने लगता है।

स्किनर के अनुसार - "सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया हैं।"

वुडवर्थ के अनुसार - "नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया हैं।

क्रो तथा क्रो के अनुसार - "सीखना आदतो ज्ञान और अभिवृतियों का अर्जन हैं।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में न्युनतम अधिगम स्तरो की प्राप्ति के बातो पर जोर दिया गया। न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्धारण आवश्यक है ताकि सभी विद्यार्थी बौध्दिक मानक स्तर को प्राप्त कर सके। न्युनतम अधिगम स्तरों की रचना करते समय निम्न दो बुनियादी बातो को ध्यान में रखा गया।

1) विभिन्न विकासात्मक स्तरो के अनुरूप विभिन्न कक्षाओं या श्रेणियों के बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताएँ।

2) परिवेशगत दशाओं के रूप में वह अनुभाविक वास्तविकता जो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में सम्बन्ध रखती है।

वर्तमान लक्ष्यों में बहुत कम बच्चे पुर्ण दक्षता प्राप्त करते है। अधिकांश बच्चे उनको अपर्याप्त या अपूर्ण रूप से सीखते हैं और आसानी से भूल जाते हैं। इसके अतिरिक्त कक्षा में कुछ उस तरह विद्यार्थी होते हैं जिन्हे भाषा अधिगम में कठिनाई होती है।

1.3 भाषा और अधिगम

'भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है,' विचार विनिमय का साधन हैं। भाषा के अभाव में बालक उस मुक बधिर के समान है, जो कि 'मधुर मीठे फल' को खाकर भी उसके परम स्वाद को व्यक्त नहीं कर सकता। भाषा ज्ञानर्जन का प्रथम सोपान हैं। भाषा का अधिगम प्रक्रियाओं सें गहरा सम्बन्ध हैं। भाषा संपूर्ण प्रक्रिया में अदभूत खोज है। भाषा की आवश्यकता अप्रत्यक्ष सत्ता के समान है। भाषा के प्रभाव या दोषों को शारीरिक दोषों के समान प्रत्यक्ष रूप सें देखा जा सकता हैं।

अधिगम में होने वाली कठिनाईयां प्राथःभाषा के कारण ही होती हैं। हमारे अन्दर में तो कुछ भी विद्यमान होता हैं जो भी विचार उमढ रहे होते है, हम कुछ दुसरो को बताना या जानना चाहते है, इस अभिव्यक्ति के लिए हम भाषा माध्यम का सहारा ले सकते है। विस्तृत अर्थो में उन सभी को भाषा का संज्ञा देने का प्रयत्न किया जा सकता है। बच्चों की भाषा का सम्बन्ध उन अनुभवों से है, जिन्हें वे अपने हाथो और शरीर से स्वंय करते है। और उन वस्तुओं से भी है जिनके संपर्क में वे आते हैं।

ब्रिटेनिको विश्वकोश के अनुसार – "भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतो की ऐसी मान्य व्यवस्था हैं जिनके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं।" भाषा के बिना विचार विनिमय सम्भव नही हैं। यदि हम कुछ सीखना चाहते हो तो उसके लिये भी भाषा के लिये अपना महत्वपुर्ण स्थान है।

मैक ग्रान्डी (1968) के अनुसार "भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं भाषा की कठिनाईयों का भाषा के विकास के साथ गहरा सम्बन्ध होता हैं।"

लैंगर (1958) के अनुसार भाषा "मानव मस्तिष्क की एक रहस्यपूर्ण उत्पत्ति हैं।"

1.4 भाषा के कौशल

'किसी भी भाषा को सीखने के चार चरण हाते है।' जो क्रमशः सुनना, बोलना, पढना, व लिखना हैं। इनका एक दुसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन चारों कौशलो का विकास क्रम में होता हैं। जैसे बिना सुने बोला नही जा सकता, बोलने के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक हैं। तत्पश्चात वह पढना और लिखना सीखता हैं। अंत इन चारों में यदि पहले कौशल का विकास बच्चे में नही हो पाया तो वह आगे के कौशल नही सीख सकता। सुनना व बोलना किसी भाषा को सीखने का पहला चरण है । इसलिए इसको प्राथमिक कौशल के नाम से जाना जाता है। तथा पठन व लेखन इनके फलस्वरूप ही विकसित होते हैं।

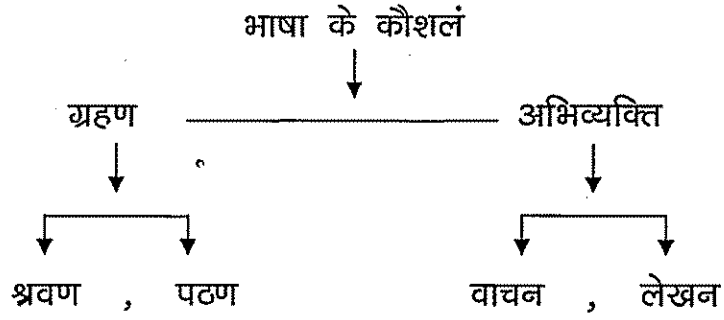

❖ वाचन कौशल –

पढने की शिक्षा के लिए वाचन का प्रयोग सामान्य रूप सें किया जाता हैं। वाचन शब्द वाक् धातु सें बना हैं जिसका अर्थ हैं, शब्द वाणी अथवा कथन। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता हैं। वास्तव में लिखित सामग्री को पढते हुए अर्थ ग्रहण करणे की प्रक्रिया को वाचन कहा जाता हैं।

❖ वाचन के रूप –

1) सस्वर वाचन 2) मौन वाचन

'स्वर सहित पढते हुए अर्थ ग्रहण करणे को सस्वर वाचन कहा जाता हैं।' यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती हैं। शब्द और वाक्यों को शुध्द उच्चारण के साथ-साथ उचित गति से पढने का अभ्यास सस्वर वाचन के द्वारा ही कराया जाता हैं।

❖ वाचन का महत्व

भाषा शिक्षा के अंतर्गत पठन शिक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। वाचन भाषा के द्वारा विचारों के आदान का एक प्रभावपूर्ण माध्यम भी हैं। अन्य सभी विषयों में सफलता वाचन के सफलता पर निर्भर करती हैं। यहाँ तक कि वाचन में असफलता-सफलता का प्रभाव छात्रों की विद्यालयीन शिक्षा पर पडता है। वाचन ही व्यक्ति के ज्ञान में वृध्दि कर उसमें उचित भावनांओं का संचार करता है। और जीवन के किसी भी कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। अंतः छात्रों में वाचन कौशलों का विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

❖ लेखन कौशल

मॉंटेसरी के मतानुसार 'लेखन एक शारीरिक क्रिया हैं,' जिसमें बालकों को हाथों की गति विधियाँ ही करनी पडती हैं। यह कार्य वाचन की अपेक्षा सरल हैं, और उन्हें आनंद की प्राप्ति होती हैं। लिपि का ज्ञान प्राप्त करणे के उपरान्त भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन कौशलों के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता हैं। साहित्य के स्थायित्व एवं समृध्दि का मुख्य आधार वह लिखित अभिव्यक्ति ही हैं।

'लेखन कला व्यक्ति की सफलता का मूलमंत्र हें' इसके अभाव में व्यक्ति कितना ही पढा लिखा हो यदि वह अपने विचारों एवं भावों कों लिखित रूप में व्यक्त नही कर पाता हैं। यदि उसका

हस्तलेखन ठीक नही हैं तों, वह सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छे लेखन की शक्ति अदभुत होती हैं। 'कलम बडी या तलवार' कविता में जहॉ कलम को तलवार से श्रेष्ठ निरूपित किया गया हैं, वहाँ वस्तुतः लेखन कला की उत्कृष्टता की सराहंना की गई हैं। महात्मा गांधी के अनुसार – 'शुध्द लेखन शिक्षा का आवश्यक अंग हैं।'

अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिये लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता है, लिखकर हम अपने विचारो को स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।

:– जीवन्न के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ केवल मौखिक अभिव्यक्ति सें काम नहीं चल सकता। दूर रहने वाले मित्र या संबंधी को अपना संदेश देने, एक दुसरे के साथ कोई कार्य करने या अन्य कोई समाचार पहुँचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है।

:– दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब–किताब रखने आदि व्यावहारिक कार्यो में लिखित भाषा का प्रयोग करना पडता हैं।

:– भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। अंतःभाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि सें भी लेखन कौशलं का विकास आवश्यक हैं।

:– शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, ग्रहकार्य करने, पाठ का सार तैयार करने आदि में लेखन कौशलं की आवश्यकता होती हैं।

:– हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा ने ही हम तक पहुँचाया है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति आगे आने वाली पीढी तक भी लिखित भाषा के माध्यम सें ही हस्तांतरित होती रहेगी।

:– लिखित भाषा बालक के हाथ और मस्तिक में सन्तुलन बनाकर रखती हैं। भाषा में एकरूपता लाती हैं।

:- लिखित भाषा ही साहित्य के भण्डार में वृध्दि करती हैं यदि लिपि न होती तो आज साहित्य कहाँ से आता, यदि लेखन कौशलं न होता तो नई नई रचनाएँ कहाँ से आती।

:- देश विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान यदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही है।

1.5 मराठी मातृभाषा

व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा का स्थान निसर्गत; सर्वापरि हैं और सभी शिक्षा शास्त्री इससे सहमत हैं। मातृभाषा का अर्थ हैं क्षेत्र विशेष में समाज स्वीकृत परिनिष्ठतः भाषा, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य सम्पन्न होते हैं।

बनार्ड के अनुसार 'माता पिता सें सुनकर सीखी हुई भाषा घर की बोली को माता की भाषा कहॉ हैं।' और समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा को मातृभाषा कहाँ हैं।

'भारत में हिन्द भाषा परिवार सबसे बडा भाषाई परिवार हैं।' इसका विभाजन इन्डो युरोपीय भाषा परिवार सें हुआ हैं। 'मराठी भारत के महाराष्ट्र प्रांत में बोली जानेवाली सबसे मुख्य भाषा हैं।' भाषाई परिवार सें अपभ्रंश तक का सफर पुरा होने के बाद शुरु हुआ। भारत की दो तिहाई सें अधिक आबादी हिन्द आर्यभाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों तक प्रयोग करती है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य हैं। जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र राज्य की मातृभाषा मराठी हैं।

'मराठी एक जीवित और सशक्त भाषा हैं, महाराष्ट्री अपभ्रंश सें निकली हैं। मराठी भाषा ने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया हैं। इसकी पाचन शक्ति कमजोर नहीं हैं। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों शब्दों, मुहावरों और कहावंतो को अपनाया हैं।'

'सन्त मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, आदि सन्त महंन्तांनी मराठी भाषा का विकास किया हैं।' मराठी भाषा ने अपने शब्दों भण्डार और अपनी अभिव्यक्ति को समृध्द किया है। मराठी भाषा का प्रभाव अन्य भाषा पर ही है। मराठी भाषा सरल हैं। इसकी लिपि देवनागरी हैं। इसलिए यह भाषा हिन्दी सें मिलती जूलती भाषा है। मराठी भाषा की उत्पत्ति आर्य भारतीय संस्कृत भाषा सें हुई हैं।

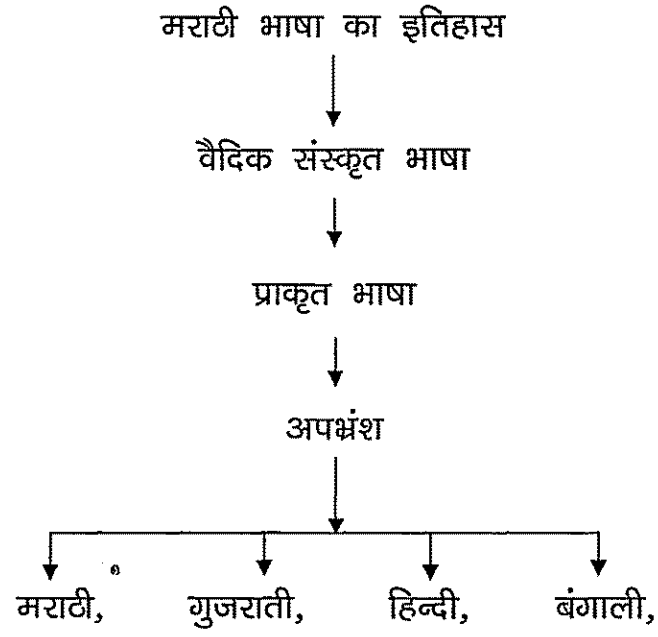

मराठी भाषा की उत्पत्ति 12 वी शतीसें लगभग 300 सौ वर्ष पूर्व अवश्य हो चूकी रही।

'मैसूर प्रदेश के श्रवण बेलगोल नामक स्थान की गोमतेश्वर प्रतिमा के नीचे वाले भाग पर लिखी हुई **"श्री चामुंड राजे करवियले"** यह मराठी भाषा की सर्वप्रथम ज्ञात पंक्ति हैं।' यह संभवत; शक 905 ई.सन. 983 में उत्कीर्ण की गई। यहॉ सें यादवों के काल तक के लगभग 75 शिलालेख आज तक प्राप्त हुए हैं। इनकी भाषा का संपूर्ण या कुछ भाग मराठी है। मराठी भाषा का निर्माण प्रमुखतया, महाराष्ट्री प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं सें होने के कारण संस्कृत की

अतुलनीय भाषा संपत्ति का उत्तराधिकार भी इसे मुख्य रूप से प्राप्त हुआ हैं। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को आत्मसात कर मराठी ने 12 वी शती सें अपना अलग अस्तित्व स्थापित करना शुरू किया।

1.6 मराठी मातृभाषा का शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। उनके सामाजीकरण में भाषा का पुरा योगदान होता हैं। यह माना जाता हैं कि मानव में भाषा अर्जन और भाषा व्यवहार की सहज क्षमता रहती हैं। 'मातृभाषा माता की भाषा या बोली का ही परिष्कृत और साहित्यिक रूप में होती हैं।'

भाषा शिक्षा की दृष्टि सें इन परिष्कृत मातृभाषा का ही महत्व हैं क्योंकि वही हमारे साहित्य, ज्ञान, विज्ञान की भाषा हैं। वही शिक्षित जनोचित शिष्ट भाषा हैं, पत्र-पत्रिकायों की भाषा हैं।

भारत एक बहुभाषी देश हैं, बोलियॉ तो सैंकडो हैं, पर मातृभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होनेवाली भाषा भी अनेक हैं। उदाहणार्थ. महाराष्ट्र राज्य में मराठी, गुजरात राज्य में गुजराती आदि।

हमारे संविधान के अन्तर्गत भी मातृभाषा के महत्व को स्विकार किया गया है। शिक्षा आयोग नें भी प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम मातृभाषा कहा है।

मुदलियार आयोग (1952-1953) के अनुसार शिक्षा के माध्यम के सुझाव दिये की, 'मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार की जायेगी।'

त्रिभाषा सूत्र (1956-1961) के अनुसार मातृभाषा को शिक्षा में प्रथम भाषा का स्थान दिया हैं।

कोठारी आयोग (1964) के अनुसार - 'मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो और प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य हो।'

एन.सी.एफ.(2005) के अनुसार – 'त्रिभाषा फॉर्मूल को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की जरूरत हैं। इनमें आदिवासी भाषाएँ भी शामिल हैं। भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन समृध्दि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।'

1.7 मराठी भाषा के उद्देश्य

किसी भी भाषा अध्ययन का मतलब हैं, की अपने विचारों का आदान प्रदान करना। विचार विनिमय सें तात्पर्य विचार ग्रहण एवं विचारों की अभिव्यक्ति दोनो सें है। बालक जब विद्यालय में आता हैं, तो वह अपनी मातृभाषा के कुछ शब्दों और वाक्यों को प्रयोग करना सीख चुका होता है। यह देखा जाता हैं की इन शब्दों वाक्यों का प्रयोग प्राथः किसी बोली से अधिक होता हैं। विद्यालय में छात्र मराठी भाषा की शब्दावली, व्याकरण आधारित सरचनाऐ, भाषा व्यवहार आदि का शिक्षण प्राप्त करता हैं। मराठी भाषा अधिगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

- समझते हुये सूनना।
- औपचारिक एवं अनोपचारिक वार्तालाप स्थिति में प्रभावी ढंग से बोलना।
- समझते हुये पढना और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री को पढने में आनन्द लेना।
- विचारों को पढने में तार्किक क्रम और मौलिकता के साथ साफ लिखाई में प्रस्तुत करना।
- सुनकर एवं पढकर विचारों को समझना।

- विभिन्न संदर्भो में व्याकरण का व्यावहारिक प्रयोग करना। निंबध लेखन, पत्र लेखन, संवाद, सारांश आदि में लेखन का विकास करना।
- भारतीय संस्कृति का परिचय करना, एवं छात्रों में सांस्कृतिक चेतन का विकास करना।
- मौखिक और लिखित भाषा के माध्यम का विकास करना।
- छात्रों को अपने व्यक्तित्व जीवन में मानसिक, बौध्दिक व सामाजिक समस्याओं कों समझने एवं उसका हल खोजने का विकास करना।

1.8 शोध अध्ययन की आवश्यकता

भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हैं, जो हमारी भावनाओं को दुसरों तक पहुँचाती हैं, तथा दुसरों के विचारों को हम तक पहुचाती हैं । भाषा ज्ञान के दुर्बलता के कारण विद्यार्थी लेखन में वर्तनीगत दोष करता देखा जाता हैं। वह उचित अनुच्छेद व विराम चिन्हों का प्रयोग नही कर पाता। वह व्याकरणिक मर्यादाओ का पालन करने में असमर्थ सिद्व होता है। इन सब बातो का प्रभाव भाषा अधिगम में पडता हैं। विद्यार्थी प्राथमिक स्तर तो उत्तीर्ण हो जाता हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर में ऐसा बालक निराश होकर विद्यालय का त्याग अथवा कमजोर ज्ञान के कारण समाज सें सदा सर्वदा उपहास कों पात्र बनता हैं।

प्रत्येंक कक्षा में हम देखते है कि सभी बच्चें उतना नहीं सीख पाते जितना उन्हें सीखना चाहिए। कुछ बच्चों में तो उस कक्षा के लिये निर्धारित दक्षताओं का विकास हो जाता है, कुछ में नहीं। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। कक्षा में बहुत से बच्चें ऐसे होते है जिनको पाठ्यक्रम में मराठी विषय के अलावा अन्य विषय में जैसे विज्ञान, अंग्रेजी, गणित आदि में रूचि होती है, तथा उन विषयों पर

अच्छी पकड़ भी होती है। लेकिन मराठी में जिनकी उपलब्धि निम्न स्तर की होती है, उन्हें मराठी भाषा के अधिगम में कठिनाई होती है। इस वजह से वह उससे दूर भागते है। सही ज्ञान न होन की वजह से उन्हें प्रत्येक स्तर पर कठिनाई होती है।

अंतः माध्यमिक शालाओं में इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता हैं। कि बच्चों का मराठी भाषा विकास किस सीमा तक हुआ हैं। उसका पता लगाया जा सके, और जहाँ उसकी कमजोरी हो उसका निदान करते हुए, उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके।
विद्यार्थियों को मराठी भाषा अधिगम में कठिनाईयाँ आने में कई कारण हो सकते हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं।

- मातृभाषा और स्थानिक मराठी बोली के प्रभाव के कारण।
- छात्रों के अन्दर भाषा के कौशलों का विकास न होने कारण।
- छात्रों को कठिनाई में मार्गदर्शन न मिलने के कारण।
- उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव के कारण ।
- पालकों का अशिक्षित होने के कारण।

प्रस्तुत लघुशोध के प्रबंध के माध्यम से हमारा अभिप्राय कक्षा 8 के विद्यार्थियों (महाराष्ट्र राज्य) के मराठी भाषा ज्ञान की यथा तथ्य स्थिती का पता और मराठी भाषा कौशलं कें लेखन कौशलं में अधिगम कठिनाई कहाँ-कहाँ आती हैं, यह जानना है।

इस अध्ययन द्वारा कक्षा 8 के (महाराष्ट्र राज्य अहमदनगर जिले) के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को मराठी भाषा विषय में लेखन कौशलं में अधिगम कठिनाईयों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया हैं। इस अध्ययन सें विद्यार्थियों की शब्दज्ञान, वाक्यरचना, व्यावहारिक व्याकरण, लेखन आदि घटकों की वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सकेगा।

कक्षा आठवी के विद्यार्थी किन भाषा दक्षताओं को हल करने में कठिनाई का अनुभव करते है। शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में अधिगम कठिनाईयों में क्या अंतर हैं। छात्र व छात्राओं में अधिगम कठिनाईयों में कितनी दुरी हैं। इस बात का बोध हो सकेगा कि हम कहाँ खडे हैं? अभी तक किए प्रयत्नों में क्या अंतर हैं। इससे यह सोचा जाना सभंव हो सकेगा। मराठी भाषिक क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम सें प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर मराठी भाषा विषय में सुधार संम्बन्धि कोई अभियान संचालित किया जा सकता हैं क्या? इस अध्ययन सें यह भी पता लगेगा कि माध्यमिक विद्यालयों में मराठी भाषा विषय का अध्यापन कार्य दक्षता आधारीत स्वरूप में संचालित किया जा रहा हैं। अथवा पाठ्यक्रम को किसी भी तरह से समाप्त घोषित करने तक ही सीमित रहा है। जबकि आजकल इस बात पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है कि विषयों का शिक्षण दक्षता आधारित हो।

इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत अध्ययन किया गया हैं। मराठी भाषा विषय लेने के कारण यह हैं कि छात्रों को सबसे अधिक कठिनाईयां मराठी भाषा विषय में होती हैं। भाषा गत दक्षताओं का उचित विकास न होने के कारण वे भाषा में अधिगम कठिनाईयां का अनुभव करतें है।

1.9 समस्या कथन

प्रस्तुत अध्ययन का विषय है,-

" कक्षा 8 के शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों में मराठी भाषा अधिगम कठिनाईयों का अध्ययन।"

1.10 अध्ययन के उद्देश्य

1. कक्षा 8 के छात्र व छात्राओं में मराठी भाषा अधिगम कठिनाइयों में अन्तर ज्ञात करना।

2. कक्षा 8 के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में मराठी भाषा अधिगम कठिनाइयों में अन्तर ज्ञात करना।

3. कक्षा 8 के शहरी क्षेत्र के छात्र व छात्राओं द्वारा मराठी भाषा अधिगम कठिनाइयों में अन्तर ज्ञात करना।

4. कक्षा 8 के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र व छात्राओं द्वारा मराठी भाषा अधिगम कठिनाइयों में अन्तर ज्ञात करना।

5. कक्षा 8 के अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्र व ग्रामीण क्षेत्र के छात्र में मराठी भाषा अधिगम कठिनाइयों में अन्तर ज्ञात करना।

6. कक्षा 8 के अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्राओं व ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं में मराठी भाषा अधिगम कठिनाइयों में अन्तर ज्ञात करना।

7. कक्षा 8 के मराठी भाषा अध्ययनरत विद्यार्थियों कों अधिगम कठिनाइयों के निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.11 अध्ययन की परिकल्पनायें

1. कक्षा 8के अध्ययनरत छात्र व छात्राओं द्वारा मराठी भाषा में होने वाली अधिगम कठिनाईयों में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

2. कक्षा 8के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को मराठी भाषा में होने वाली अधिगम कठिनाईयों में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

3. कक्षा 8के शहरी क्षेत्र के छात्र व छात्राओं द्वारा मराठी भाषा में होने वाली अधिगम कठिनाईयों में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

4. कक्षा 8के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र व छात्राओं द्वारा मराठी भाषा में होने वाली अधिगम कठिनाईयों में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

5. कक्षा 8के अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्र व ग्रामीण क्षेत्र के छात्र द्वारा मराठी भाषा में होने वाली अधिगम कठिनाईयों में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

6. कक्षा 8के अध्ययनरत शहरी क्षेत्र के छात्राओं व ग्रामीण क्षेत्र के छात्राओं द्वारा मराठी भाषा में होने वाली अधिगम कठिनाईयों में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

1.12 शोध की परिसीमाएँ –

विद्यार्थियों को मराठी भाषा अधिगम में बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। परन्तु श्रम, धन एवं समय की सीमाएँ को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ बिन्दुओं को ही प्रस्तुत अध्ययन में लिया गया है।

- यह अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तहसील के 6 विद्यालय तक सीमित रखा गया हैं।
- इस अध्ययन में कक्षा 8 के मराठी भाषा अध्ययनरत विद्यार्थियों को सीमित रखा हैं।
- इस अध्ययन में 3 विद्यालय शहरी क्षेत्र के व 3 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में सें लिया गया हें
- कुल विद्यार्थी 120 लिया गया हैं। इसमें शहरी क्षेत्र के 60 छात्रों (छात्र 30 छात्राओं 30) व ग्रामीण क्षेत्र के 60 छात्रों (छात्र 30 छात्राओं 30) को शामिल किया गया है।
- इस अध्ययन में कक्षा 8 के मराठी भाषा विषय परीक्षण पत्र में भाषा लेखन कौशलं के चार घटको (शब्दज्ञान, वाक्यरचना, व्यावहारिक व्याकरण, लेखन,) को शामिल किया गया हैं।